न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—17 सन् 2019

मदन भगत...............................वादी।

बनाम

धमंडी भगत वगैरह..............................प्रतिवादी।

दिनांक— 20.01.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 08.01.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में वादी खेलाफ प्रतिवादी विवादित एराजी मेंबनिस्पत तकसीम हेतु यह वाद लाया है तथा उक्त वाद में वादी परितोष की मांग किया है कि सिडियुल नं0 01 वो 02 में वादी का हिस्सा 1/3 का अलग तख्ता कायम कर वादी का खाश दखल कब्जा बजरिये अदालत करा दिया जाए। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी पर रजिस्ट्री समन न्यायालय से निर्गत होने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण उपरोक्त वाद में हाजिर होकरन बयान तहरीर अपना दाखिल कर वादी के मोकदमा के विरोध करते हैं तथा उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण विवादित एराजी अर्जीनालिश में बालू, गिट्टी इत्यादि गृह निर्माण करने वास्ते समानात एकत्रित किया जा रहा है तथा नया गृह निर्माण करने वास्ते प्रतिवादी अमादे हैं। इस तरह से प्रतिवादी के नाजायज कार्यवाही के वजह से विवादिज जमीन का स्वरूप बदल जाएगा। इसके लिए स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित एराजी का क्या स्वरूप है अभिलेख पर मंगाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी पर रजिस्ट्री समन न्यायालय से निर्गत होने के फलस्वरूप प्रतिवादीगण उपरोक्त वाद में हाजिर होकरन बयान तहरीर अपना दाखिल कर वादी के मोकदमा के विरोध करते हैं तथा उपरोक्त वाद में

प्रतिवादीगण विवादित एराजी अर्जीनालिश में बालू, गिट्टी इत्यादि गृह निर्माण करने वास्ते समानात एकत्रित किया जा रहा है तथा नया गृह निर्माण करने वास्ते प्रतिवादी अमादे हैं। इस तरह से प्रतिवादी के नाजायज कार्यवाही के वजह से विवादिज जमीन का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 08.01.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/–रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री नवीन किरण को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।